

बिहार सरकार  
**निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग**  
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,  
पटना।

पटना, दिनांक:-.....

**विषय:-** सर्वश्री युनाईटेड ब्रिवरीज लि० (इकाई धारुहेरा जिला-रेवारी, हरियाणा), पटना के लेबुलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1320 दिनांक-04.04.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड ब्रिवरीज लि० (इकाई धारुहेरा जिला-रेवारी, हरियाणा), पटना द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुल को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से नवीकृत किया जाता है।

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 12-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	किंगफिशर स्पेशल लेगर बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2623/11-12	2623/12-13
2	कल्याणी ब्लैक लेबल स्ट्रॉंग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2624/11-12	2624/12-13
3	किंग फिसर सुप्रीम स्ट्रॉंग बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2617/11-12	2617/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुल को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुल को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत लेबुल पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-  
(नवीन कुमार मिश्र)  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140-03/2006

2012

पटना, दिनांक:- 12.4.12

प्रतिलिपि :-सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी० एस० बी० सी० एल०, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाईटेड ब्रिवरीज लि० (इकाई धारुहेरा जिला-रेवारी, हरियाणा), पटना

पत्रांक: 3/एफ2-140-37/2001

**बिहार सरकार**  
**निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग**  
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र,  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,  
पटना।

पटना, दिनांक:-.....

**विषय:-** सर्वश्री युनाइटेड ब्रिवरीज लि० (इकाई कल्याणी), पटना के लेबलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1346 दिनांक 5.4.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाइटेड ब्रिवरीज लि० (इकाई कल्याणी), पटना द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार द्वारा नवीकृत किया जाता है।

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	किंगफिसर सुप्रीम स्ट्रॉग बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० से अधिक एवं 8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2453/11-12	2453/12-13
2	तदैव	330	N 2454/11-12	2454/12-13
3	किंगफिसर स्पेशल लेगर बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2455/11-12	2455/12-13
4	तदैव	330	N 2456/11-12	2456/12-13
5	कल्याणी ब्लैक लेबल स्ट्रॉग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी०/भी० के अंदर)	650	N 2608/11-12	2608/12-13
6	किंगफिसर रेड प्रिमीयम ग्रेभिटी बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	2233/11-12	2233/12-13

**शर्तें :-**

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.13 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(नवीन कुमार मिश्र)  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140-37/2001

2012

पटना, दिनांक:- 12-4-12

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी० एस० बी० सी० एल० पटना/पाधिकृत प्रतिनिधि सर्वश्री युनाइटेड ब्रिवरीज लि० (इकाई कल्याणी)

**निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग**  
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र,  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,  
पटना।

पटना, दिनांक:-.....

**विषय:-** सर्वश्री युनाइटेड ब्रिवरीज लि०, पटना (राजस्थान इकाई) के लेबलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1345 दिनांक 5.4.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाइटेड ब्रिवरीज लि०, पटना (राजस्थान इकाई) द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार द्वारा नवीकृत किया जाता है।

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	किंगफिसर प्रिमीयम लेगर बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	500 (केन)	2086/11-12	2086/12-13
2	किंगफिसर स्ट्रॉंग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	500 (केन)	2088/11-12	2088/12-13
3	कल्याणी ब्लैक लेबल स्ट्रॉंग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर )	500 (केन)	2208/11-12	2208/12-13
4	किंगफिसर सुप्रीम स्ट्रॉंग बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० से अधिक एवं 8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2457/11-12	2457/12-13
5	तदैव	330	N 2458/11-12	2458/12-13
6	किंगफिसर स्पेशल लेगर बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2459/11-12	2459/12-13
7	तदैव	330	N 2460/11-12	2460/12-13
8	किंगफिसर स्ट्रॉंग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर )	330 (केन)	2207/11-12	2207/12-13
9	किंगफिसर ब्लू प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	500	2359/11-12	2359/12-13

**शर्तें :-**

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.13 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधन पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(नवीन कुमार मिश्र)  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

ज्ञापक:- 3/एफ2-140-37/2001

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी० एस० बी० सी० एल०, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाइटेड ब्रिवरीज लि०, राजस्थान इकाई, पटना।